

न्याय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
31/20	188 RTA	वीलरबडा	इलाहाबाद
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
केलाश काई काँठ	बनाम	भोइलाल काँठ	
वकील :- आशुतोष शर्मा एडवो.	आदेश पत्रक	वकील :-	

दिनांक **कार्यवाही एवं आदेश** विविध संदर्भ

9/6/20
 श्रीमान क प्रार्थी द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 RTA विरुद्ध अप्रार्थी गणों के इस आपत्तक में पेश किया गया, रिजॉर्ड सरिस्ता का अक्लोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रहि किथु जावे तथा अप्रार्थी गणों को जरिये समन तलक करें। पत्रावली दिनांक 7/7/20 को पेश हो।

7/7/20
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 29/7/20 को पेश हो।
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारां)

29/7/20
 पत्रावली आक पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गणों के बर तालील समन प्राप्त। प्रतिवादी का 1 ता 8 की कोर से भी उभावे कर गो लानी एडवो. का अकालत जमा पेश हुआ जो शरि रिज किया गया जावे हेतु समन जारी है बाहे जावे पत्रावली दिनांक 01/9/20 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 01/9/20 को पेश हो।
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारां)

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
9.4.24	<p>पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 22.5.24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">14 शेडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)</p>
27.5.24	<p>पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 9.7.24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">14 शेडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)</p>
9.7.24	<p>पत्रावली पेश हुई। व कुलाम फरीकोव उपर। जवाब पेश नहीं हुआ। लम्प चाहते हैं। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 27.8.24 को पेश हो।</p>
27.8.24	<p>पत्रावली पेश हुई। व कुलाम फरीकोव उपर। जवाब पेश नहीं हुआ। लम्प चाहते हैं। अतिरिक्त कार्य अवरुद्ध दिखे जा चुके हैं। न्यायाधीश के एक अतिरिक्त डायरी दिनांक 8-10-24 को पेश हो।</p>
8.10.24	<p>पत्रावली पेश हुई। व कुलाम फरीकोव उपर। जवाब पीठारीन पेश नहीं हुआ। लम्प चाहते हैं। प्रकरण धारा 188 RTI का भी पत्रावली एवं डिफेंस का इन्फोर्मेशन दिया गया। प्रडिटर कुलाम जवाब उपर वीएलएड एड. छबड़ा लम्प 27.3.24 का दि. 183 के अतिरिक्त करीगु एवं जर्ज करीगु भी करीगु एड. लखनौदारा के खिलाफ धारा 188 RTI का दावा पेश किया। भी लखनौदारा के खिलाफ एड. लखनौदारा के खिलाफ पेश करने के बाद भी 188 RTI में दावा लम्प माँगे जा। प्रडिटर लखनौदारा से प्रडिटर खैरदारा का रिफरेंस लेने में जवाबक शर्त का इन्फोर्मेशन नहीं देता। एड. लखनौदारा कह सकते हैं। करीगु की प्रतिक्रिया में करीगु एड. लखनौदारा के खिलाफ एफपी निष्पक्षता का दावा पेश किया। भी जो लखनौदारा नहीं देने के कारण दिया जाय। भी पत्रावली के तहत अवरुद्ध कर लम्प लम्प के अतिरिक्त दफ्तल हो।</p>